21/2/24

पहली पेशी के बाद ~~की गई~~
वहीं पर जमीं उपलब्ध होने
अभाव कथन कि जमीं के
अधीनस्थ के विरुद्ध कार्यवाही
करना बनते बनते जमीं
कार्यवाही इसी स्तर पर रोक
दी जाये। वहीं जमीं द्वारा
Not Paresh करने पर जमीं में
कार्यवाही रोक दी जाती है।
जमीं केवल शुल्क से मुक्त
किया जाए।

प्रार्थी बैंक
अन्तर्गत में
अग्रिम कार्यवाही
नहीं चाहता है
क्योंकि अधिकांश
मामला NPA
से बाहर हो गया है
21.2.24

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:42:47 IST
Reason: SelfAttested